न्यायालय जिला कलक्टर,बाडमेऱ

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 24/2017

अपीलांट
नारणाराम पुत्र देदाराम जाति
जाट निवासी बांकोणियो का
वास,कुड़ला तहसील बाड़मेर

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.कानाराम पुत्र पूराराम
2.हरखाराम पुत्र पूराराम
3.टीकमाराम पुत्र भोमाराम फौत
के कायम मुकाम–
3/1.भगवानाराम पुत्र टीकमाराम
3/2.श्रीराम पुत्र टीकमाराम
3/3.पेमाराम पुत्र टीकमाराम
4.किस्तुराराम पुत्र मोटाराम
5.गिरधारीराम पुत्र मोटाराम
6.नरसिंगाराम पुत्र मोटाराम
7.जुगताराम पुत्र दलाराम
8.वीरमाराम पुत्र खंगाराराम
9.भानाराम पुत्र खंगाराराम
10.मगाराम पुत्र हुकमाराम
11.पुरखाराम पुत्र हुकमाराम
12.रामाराम पुत्र हुकमाराम
जातियान जाट निवासी
बांकोणियों का वास,कुडला
तहसील बाड़मेर
13.तहसीलदार,बाड़मेर
14.प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा
कुड़ला तहसील बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाक 06.01.2012 द्वारा तहसीलदार,बाड़मेर

उपस्थितः– 1.श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2.श्री महेन्द्र रामावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 की ओर से।
3.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13 की ओर से।
4.श्री पुरूषोतम सोलंकी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14 की ओर से।
5.रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.03.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01से 12 की पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 241 रकबा 56–03 बीघा,खसरा नम्बर 247 रकबा 0–15 बीघा,खसरा नम्बर 248 रकबा 0–15 बीघा,खसरा नम्बर 545 रकबा 16–03 बीघा, खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा एंव खसरा नम्बर 647/249 रकबा 114–19 बीघा कुल रकबा 201–10 बीघा मौजा बांकोणियों का वास, कुड़ला में आये हुए है। इसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संख्या 07 से 12 का सयुंक्त रूप से 1/2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 का 1/2 हिस्सा है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 12 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार,बाड़मेर ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2012 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 12 हिन्दू विधि से शासित हैं, जिनका पैतृक खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 241 रकबा 56–03 बीघा,खसरा नम्बर 247 रकबा 0–15 बीघा,खसरा नम्बर 248 रकबा 0–15 बीघा,खसरा नम्बर 545 रकबा 16–03 बीघा, खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा एंव खसरा नम्बर 647/249 रकबा 114–19 बीघा कुल रकबा 201–10 बीघा मौजा बांकोणियों का वास, कुड़ला में आये हुए है। इसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 का 1/2 हिस्सा है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। वादग्रस्त भूमि में खसरा नम्बर 241 रकबा 56–03 बीघा व खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा को छोड़कर शेष समस्त खसरान का बंटवाड़ा पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सही किया गया, परन्तु खसरा नम्बर 241 रकबा 56–03 बीघा व खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा का बंटवाड़ा मौके पर पक्षकारान के कब्जा व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। इससे नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है, क्योंकि खसरा नम्बर 241 व 547 में मौके पर 1/2 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 का,1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 के कब्जा व रहवास का था। खसरा नम्बर 241 उपजाऊ व समतल भूमि है जिस कारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने हल्का पटवारी से मिलीभत करते हुए अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 को 28–02 बीघा के स्थान पर 21–14 बीघा भूमि दी गई और रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 को 34–09 बीघा भूमि दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने उपजाऊ व कीमती का समान बंटवाड़ा न कर अधिक भूमि अपने हिस्से में रखी दी जबकि धोरे वाली भूमि खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा पूरा पूरा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 के हिस्से में रख दिया

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जबकि उक्त भूमि में दोनो पक्षों का आधा–आधा हिस्सा करना आवश्यक था। अपीलांट ने आधा–आधा हिस्सा करने की ही सहमति प्रदान की गई थी, परन्तु अपीलांट अनपढ व वृद्ध होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 ने अपीलांट को धोखे में रखते हुए कीमती भूमि अपने हिस्से में रखते हुए अपीलांट को धोरे वाली भूमि दी गई जिस कारण उक्त बंटवाड़ा भूमि किस्म व गुणवता के अनुसार नहीं हुआ है। जबकि विभाजन इस तरह से किया जाना चाहिये ताकि पक्षकारान को वास्तविक कब्जे मे कम से कम परिवर्तन हो। इससे विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांट का इस विभाजन से रहवासीय ढाणी का आवास पूर्व कब्जा पूर्ण रूप से प्रभावित रहा है। मियाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 06.01.2012 की पालना में पारित नामान्तरकरण व लठठा ट्रेस मे अलग अलग तरमीम होने से अपीलांट को इसकी जानकारी नहीं हुई परन्तु वर्तमान में अपील पेश करने के 20 दिन पूर्व रेस्पोडेंट ने अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार कब्जा हटाने को कहा तब अपीलांट को वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने पर विभाजन आदेश की दिनांक 20.02.2017 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मियाद पेश की है। इसलिये अपीलांट की अपील स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 241 रकबा 56–03 बीघा व खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा पैतृक आरजी का नये सिरे से पक्षकारान के हिस्से एंव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांट व अन्य सह खातेदारों–उतरदातागण द्वारा अपने खातेदारी खेत मौजा बांकोणियो का तला, कुड़ला के खसरा नम्बर 241,247,248,547,647/249 की भूमि में सभी खातेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 06.01.2012 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा बंटवाड़ा नक्शा मौके पर जाकर सभी खातेदारान की मौजूदगी में तैयार कर रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन आपसी सहमति से हुआ है। जिसे तहसीलदार बाड़मेर ने समस्त काश्तकारों की सहमति एंव उनकी उपस्थिति में बाद जॉच सही रूप से विभाजन विलेख को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है। इसलिये अपीलांट की अपील गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली,उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार,बाड़मेर द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 06.01.2012 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बांकोणियों का तला,कुड़ला के खेत खसरा नम्बर 241 रकबा 56–03 बीघा,खसरा नम्बर 247 रकबा0–15बीघा,खसरा नम्बर 248 रकबा 0–15बीघा,खसरा नम्बर 545 रकबा 16–03 बीघा, खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा एंव खसरा नम्बर 647/249 रकबा 114–19 बीघा कुल रकबा 201–10 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की पैतृक खातेदारी भूमि है। यह भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 12 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 का 1/2 हिस्सा है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 को खसरा नम्बर 241 कुल रकबा 56–06 बीघा में 1/2 हिस्से से रकबा 28–02 बीघा भूमि आती है। मगर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 को 28–02 बीघा के स्थान पर 21–14 बीघा भूमि दी गई। अतः खसरा नम्बर 241 की भूमि में 06–8 बीघा भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 07 से 12 को महरूम रखते हुए आदेश पारित किया गया एंव खसरा नम्बर 547 रकबा 12–15 बीघा की पूरी भूमि अपीलांट व रेस्पोडंट संख्या 07 से 12 को दी गई जबकि उक्त भूमि में भी दोनो पक्षों को आधा–आधा हिस्सा होना चाहिये। विभाजन अनुसार प्रत्येक पक्ष को उक्त खसरान में उसके हिस्से अनुसार रकबा मिलना चाहिये। इस प्रकार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त विभाजन नहीं हुआ है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी नियम 20 (क) से (ड़) एंव 21 के प्रावधानों की पालना नही की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2012 को अपास्त किया जाता है और मामला तहसीलदार, बाड़मेर को प्रति–प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि राजस्थान काश्तकारी नियम,1955 के नियम 20 व 21 की पालना कर, बाद जॉच पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर